

सूचना / NOTICE

उप: दिनांक 10.05.2022 को दिए गए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन, एसएलपी (सी) संख्या 008892-008904 से उत्पन्न मामले संख्या सीए.सं.003797-003809/2022 की डायरी संख्या 13901 में 2017 के 1707 और 2017 के वादियों और गैर-वादियों के संबंध में श्रेणी 1 (एनसी बखशी बैच) और श्रेणी- II (शशिकिरण बैच)

उपरोक्त के संदर्भ में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि में जाने के लिए से एक विकल्प फॉर्म भरना आवश्यक है। इसे जमा करने पर ही पेंशन के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय को अभ्यर्षित किया जा सके।

कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, परिवार के पात्र सदस्य सीसीएस (पेंशन नियम 1972) के अनुसार कॉलेज कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनके पारिवारिक पेंशन समायोजन किया जायेगा साथ में एक प्राधिकरण की आवश्यकता है ताकि एम्प्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन को एडजस्ट जा सके

-विकल्प प्रपत्र अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है

SUB: Implementation of Judgment of Hon' ble Supreme Court of India delivered on 10.05.2022 in the case No.CA. No.003797-003809/2022 arising out of SLP (C)No.008892-008904 in DiaryNo.13901 of 2017 and 17007 of 2017 in respect of Litigant and non-Litigants of Category I(N.C. Bakshi Batch) & Category-II (Shashikiran Batch)

With reference to above, all concerned are hereby informed the an option form is required to filled up to switch over to G.P.F. on submission of the same, the cases of Pension shall be processed so as to forward to University for approval.

In case of death of employee, the eligible member of the family as per CCS (Pension rules 1972) may, contact college office with regard to processing the case of family pension an authorization letter for adjustment of employees contribution in the pension arrears due to them shall also be required.

-Option form attached as Annexure "A"

V. Paliwal
29/6/22

(प्रो. वी. के. पालीवाल / (Prof.V.K.Paliwal)

प्राचार्य/ Principal